

डिक्री बमुकदमें ईबदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 66/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयदेव जाति मेघवाल साकिन मोधुनगर तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. जयदेव पुत्र मंगतू राम जाति मेघवाल साकिन मोधुनगर तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ
2. साहब राम पुत्र जयदेव जाति मेघवाल साकिन मोधुनगर तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी

श्री करणीसिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 28/2/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर
के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी सुरेन्द्र कुमार को चक 75 आर.डी. के प0 न0 142/396 के कि0 न0 21 की 0.253
है0 22/2 की 0.155 है0 प0 न0 142/397 के किला न01/1 की 0.228 है0 1/2
की 0.025 है0 गै0मु0 खाला 2/1 की 0.140 है0 2/2 की 0.015 है0 गै0मु0 खाला 10
की 0.099 है0 पश्चिमी पासा 16 की 0.050 है0 दक्षिणी पासा 17 की 0.050 है0 दक्षिणी
पासा 18 ता 20 की 0.759 है0 22 ता 25 की 1.012 है0 प0 न0 143/397 कि किला
न0 19 की 0.203 है0 20 की 0.253 है0 21 की 0.253 है0 22 की 0.063 है0 कुल 3.
558 है0 तहसील रावतसर की भूमि का,
2. प्रतिवादी नं0 2 साहबराम को चक 75 आर.डी. के प0 न0 142/397 के किला न0 8
की 0.228 है0 दक्षिणी पश्चिमी पासा 9 की 0.240 है0 दक्षिणी पासा 10 की 0.154 है0
पूर्वी पासा 12 की 0.253 है0 16 की 0.203 है0 उत्तरी पासा 17 की 0.203 है0 उत्तरी
पासा 11 की 0.253 है0 13 की 0.240 है0 14, 15 की 0.506 है0 प0 न0 143/397 के
किला न0 3/2 की 0.011 है0 7 की 0.013 है0 8 की 0.202 है0 9 ता 12 की 1.012
है0 कुल तदादी 3.518 है0 तहसील रावतसर की भूमि का,
3. वादी सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी न0 2 साहबराम को ब हिस्सा बराबर चक 75 आर.डी.
के प0 न0 142/397 के किल न0 8 की 0.012 है0 पूर्वी पासा उतर से दक्षिण लम्बा व
13 की 0.013 है0 पूर्वी पासा पर उतर से दक्षिण लम्बा व किला न0 8 की 0.013 है0

0-17

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

उतरी पासा पर पुर्व से पश्चिम लम्बा 9 की 0.013 है0 उतरी पासा पर पुर्व से पश्चिम लम्बा कुल तादादी 0.051 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/2/2025 ...को जारी की गई।

Om ?
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिवतसर अधिकारी
शिवतसर